राजस्थान सरकार

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला–बाड़मेर

...पुत्र अरजनराम जाति नाई निवासी बोली तहसील ... जिला बाड़मेर।	विप्रार्थीगण 1 प्रभुराम पुत्र हीराराम 2. ईमियो पुत्री हीराराम 3. गंगा पुत्री हीराराम 4. केसी देवी पुत्री हीराराम 5. वीरा देवी पुत्री हीराराम जातियान नाई निवासी बोली तहसील सेडवा 6. तहसीलदार सेडवा

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मु.न.........51../2025

25-3-25 प्रार्थी रावताराम पुत्र अरजनराम जाति नाई निवासी बोली तहसील सेड़वा की ओर से अधिवक्ता श्री श्रीराम विश्नोई ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया है, जो दर्ज किया जाकर दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन प्रार्थना पत्र के साथ **तहसील सेड़वा के मौजा बोली पटवार क्षेत्र पनोरिया भू.अ.नि. पनोरिया के खसरा सं 692/299 रकबा 12.0084 हैक्टेयर, भूमि की जमाबंदी प्रस्तुत की है।** प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया है।

स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस विस्तार पूर्वक सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा हाजा न्यायालय में विवादित आराजी के बंटवाडा का वाद प्रस्तुत किया गया है। इस स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणिय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होते है। **अतः इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि विप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक तहसील सेड़वा के मौजा बोली पटवार क्षेत्र पनोरिया भू.अ. नि. पनोरिया के खसरा सं 692/299 रकबा 12.0084 हैक्टेयर, भूमि में प्रार्थी को जबरन बेदखल नहीं करे व न ही प्रार्थी के कब्जे–काश्त में दखलन्दाजी स्वयं करे अथवा न अन्य किसी के मार्फत करवाये न ही उक्त भूमि का बेचान या अन्य हस्तांतरण करे एवं मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखे।**

इस आशय का स्थगन आदेश जारी किया जाता है। स्थगन अहकॉम तहसीलदार सेड़वा को जारी हो। वकील प्रार्थी इस आशय के नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी हेतु 7 दिवस में रजि.एड़ी सहित न्यायालय हाजा में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। प्रार्थी वकील आदेश 39 नियम 03 सीपीसी की पालना करे। विप्रार्थीगण को स्थगन के नोटिस जारी होकर पत्रावली वास्ते जबाव आगामी पेशी तारीख ..07/04/25..को पेश हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

18/03/25 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उप. एवं प्रार्थी उप.। चुंकि मूलवाद में जरिये राजीनामा डिक्री कर दिया गया है तो इस आवेदन को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है इस आवेदन की कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। मूलवाद के संलग्न हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.05.05 20:56:38 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी वकील